



पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कॉरपोरेट ऑफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक-

/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/ईओ-3

दिनांक ०८.०९.२०११

विषय- चल/अचल सम्पत्ति विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक (परियोजना)

132 के०वी० उपसंस्थान परिसर माजरा,
पिटकुल देहरादून.

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-985,1288,192,663, 755,845 1008, एवं 1133 /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/ईओ-3, दिनांक 22.07.2010, 21.09.2010, 03.02.2011, 20.05.2011, 08.06.2011, 24.06.2011, 14.07.2011 एवं दिनांक 05.08.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से कारपोरेट मुख्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु वांछित सूचना काफी समय व्यतीत होने के पश्चात भी आप के अधीन कार्यरत संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित निम्न अधिकारियों की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण आपके स्तर से प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

इस सम्बन्ध में आप का ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए स्मरण कराना है कि पूर्ववर्ती उ०प्र०रा०वि०प०/उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 उपनियम-1, 2, 3 एवं 4 के सन्दर्भ में समय-समय पर निर्गत आदेशों/परिपत्रों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण नियंत्रक अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी अनुदेश दिये गये हैं जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक पाँच वर्ष में अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से नियोक्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा की जानी आवश्यक है जिससे आवेदकों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचनाएं मांगे जाने पर उन्हें ससमय उपलब्ध करायी जा सकें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अपना एवं अपने नियन्त्रणाधीन संलग्न सूची में अंकित कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चल/अचल सम्पत्ति विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में चल/अचल सम्पत्ति विवरण उपलब्ध न कराने वाले कार्मिकों के साथ ही सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।


संलग्नक: यथोपरि।

(एस०के० शर्मा)
निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक 1349 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल/ईओ-3 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, 7बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. सम्बन्धित अधिकारी के नाम.....।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0/प्रौ0) को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रकाशित करने के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित समस्त अधिकारियों को ई-मेल द्वारा भी प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।


(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

